International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 11, November 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

''भारतीय समाज में दहेज प्रथा और उसका नकारात्मक प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''

फरहीन बानो
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

डॉ. शैलजा नागेन्द्र
सह–आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

सार –भारतीय समाजशास्त्र में दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, जिसकी जड़ें समाज में इतनी गहरी हैं कि मात्र कानून से इसे उखाड़ फेंकना असम्भव है।दहेज प्रथा महिलाओं के नियमित जीवन में एक बाधा है। भारतीय समाज में दहेज प्रथा प्राचीनकाल से ही विद्यमान है। थोड़ी सी सहूलियत के लिए प्रारम्भ की गई इस प्रथा ने आज इतना विकराल रूप धारण करलिया है कि आज सैकड़ों महिलाएं दहेज प्रथा की बली चढ़ जाती हैं। दहेज प्रथा किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ी है बल्कि यह तो समाज के प्रत्येक वर्ग, धर्म तथा समुदाय में पायी जाती है। दहेज प्रथा अभिभावकों पर एक सामाजिक बोझ है जिसे उन्हें हर हाल में पूरा करना होता है। दहेज प्रथा लोगों के जीवन–स्तर पर भी प्रभाव डालती है। दहेज–प्रथा की चपेट में आकर ना जाने कितने ही परिवार उजड़ चुके हैं फिर भी यह प्रथा कम होते नजर नहीं आ रही है।

Key Words –दहेज, समाज पर नकारात्मक प्रभाव, आर्थिक बोझ।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 11, November 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

''भारतीय समाज में दहेज प्रथा और उसका नकारात्मक प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन''

दहेज का अर्थ –दहेज शब्द का अभिप्राय उस राशि, सामग्री अथवा संपत्ति से है, जो वधू के पक्ष की तरफ से वर पक्ष को विवाह के अवसर पर दी जाती है।

''दहेज वह धन, वस्तुएँ अथवा संपत्ति है जो एक स्त्री के विवाह के समय उसके पति के लिये दी जाती है।''

नवीन वेबस्टर शब्दकोष

दहेज का अर्थ कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान निधि है जिसे ''विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष से दूसरे पक्ष को अथवा विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता–पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी हो या देना स्वीकार किया हो।''

दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के अनुसार

भारतीय समाज में दहेज प्रथा –अपनी बेटी की शादी में अपनी इच्छा से खुशी–खुशी जमाई पक्ष को कोई वस्तु या संपत्ति उपहार स्वरूप देना दहेज नहीं है लेकिन जमाई पक्ष के दबाव या अपनी प्रतिष्ठा का दिखावा करने के लिए अपनी हैसियत से अधिक जमाई पक्ष को वस्तुओं या संपत्ति के रूप में उपहार देना दहेज है। विवाह के मौके पर वर पक्ष तथा वधू पक्ष की तरफ से एक–दूसरे को उपहार लेने तथा देने का रिवाज सामान्यतः प्रत्येक समाजों में प्रचलित रहा है और आज भी विद्यमान है। भारतीय समाज में विवाह–प्रथा हमेशा से ही एक खर्चीली सामाजिक रीति मानी जाती है। विवाह–प्रथा में आकर्षक साजो–सजावट, शानदार भोजन, बहुमूल्य उपहार, आकर्षक प्रकाश–व्यवस्था आदि महंगी वस्तुएँ शामिल रहती हैं। भारतीय समाज में दहेज प्रथा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। प्राचीनकाल में वधू के माता–पिता

अपनी बेटी की शादी में जरूरी घरेलू सामग्री दिया करते थे। कुछ उच्च वर्गीय तथा मध्यमवर्गीय परिवार सोना एवं चाँदी भी दिया करते थे। ऐसा वह अपनी पुत्री के भविष्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किया करते थे। वधू के माता–पिता ऐसा अपनी हैसियत के मुताबिक किया करते थे। परन्तु धीरे–धीरे दहेज–प्रथा एक रिवाज बन गयी। अब वर पक्ष, वधू पक्ष से विवाह के अवसर पर जो कुछ मांगता है, वधू पक्ष को वह देना पड़ता है चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। वधू पक्ष को किसी भी हाल में दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। वधू पक्ष दहेज की व्यवस्था करने के लिए कभी कर्ज लेते हैं, कभी अपना घर तथा जेवर गिरवी रखते हैं तो कभी ब्याज लेने या रिश्वत लेने जैसी गतिविधियां भी करते हैं।

दहेज प्रथा के कारण –

- अपनी पुत्री का विवाह अपनी ही जाति, समुदाय, वर्ग तथा उपजाति में करने हेतु एवं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने हेतु दहेज–प्रथा को अनिवार्य माना जाता है क्योंकि इससे विवाह का दायरा सीमित हो जाता है अतः सीमित दायरे में ही अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए माता–पिता को मजबूरन अपनी पुत्री के विवाह में ढेर सारा दहेज देना पड़ता है।

- भारतीय समाज में बेटियों के विवाह को अनिवार्य समझा जाता है। अतः विवाह की अनिवार्यता ही वर–पक्ष को अधिक से अधिक दहेज की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

- ऊँचे कुल में अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए भी माता–पिता को मोटे दहेज का इंतजाम करना पड़ता है।

- उच्च शिक्षा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा भी दहेज प्रथा का एक प्रमुख कारण है क्योंकि शिक्षा एवं प्रतिष्ठा के कारण अभिभावक अपनी पुत्री का विवाह एक उच्च शिक्षित तथा

नौकरी पेशा वाले लड़के से ही करना चाहते हैं। अतः समाज में ऐसे लड़कों के अभाव के कारण भी वर–पक्ष द्वारा अधिक दहेज की मांग की जाती है।

- दहेज–प्रथा हेतु महंगाई भी जिम्मेदार है क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। अतः वर पक्ष द्वारा विवाह को धन प्राप्त करने का एक जरिया माना जाता है। इसलिए वर पक्ष अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वधू–पक्ष से अधिक दहेज की मांग करते हैं।

- दहेज को समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक भी माना जाने लगा है। वधू पक्ष मानता है कि वह अपनी बेटी के विवाह में अत्यधिक दहेज देंगे तो उससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी।

- भारतीय समाज में महिलाओं को कमजोर या दोआम दर्जे का माना जाता है, यह भी दहेज प्रथा हेतु जिम्मेदार है।

- महिलाओं में साक्षरता का कम प्रतिशत भी दहेज प्रथा का कारण है। शिक्षा के अभाव में भी दहेज प्रथा को बढ़ावा मिलता है।

- दहेज प्रथा को क्रय–विक्रय के रूप में बढ़ावा मिलना भी दहेज प्रथा का एक कारण है अतः जिन अभिभावकों ने अपनी बेटी के विवाह में अधिक दहेज दिया होता है वह अपने बेटे के विवाह में उस धन की वापसी को देखते हैं और इन्हीं कारणों से समाज में दहेज जैसी कुरीति को बढ़ावा मिलता है।

दहेज प्रथा के नकारात्मक प्रभाव –भारतीय समाज में दहेज–प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। दहेज के कारण महिलाओं के साथ अन्याय किया जाता है। बेटी के जन्म के समय से ही उसे एक बोझ तथा उपभोक्ता के रूप में देखा जाता है। इसी सोच ने कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को बढ़ावा दिया। बेटी जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी उसके लिए उतनी ही ज्यादा दहेज

की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस सोच ने बाल–विवाह की समस्या को बढ़ावा दिया। दहेज प्रथा के दुष्प्रभाव कन्या के विवाह पूर्व एवं विवाहोपश्चात दोनों ही स्थितियों में देखे जा सकते हैं। बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक अभिभावक उसके लिए उपयुक्त दहेज की रकम जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस हेतु वह कई बार अनैतिक कार्य जैसे ब्याज लेना, रिश्वत लेना आदि भी करते हैं। दहेज प्रथा लोगों के जीवन स्तर को भी कम करती है। अपनी पुत्री के विवाह में दहेज की व्यवस्था करने हेतु कई बार अभिभावक कर्ज ले लेते हैं, अपनी जमीन–जायदाद को गिरवी रख देते हैं। दहेज प्रथा के कारण हजारों महिलाएं मौत के घाट उतार दी गई हैं। भारत में प्रति एक घन्टे में एक महिला दहेज की बली चढ़ जाती है। दहेज प्रथा महिलाओं में मानसिक तनाव को भी जन्म देती है। ससुराल पक्ष के लोग अपनी बहू को मिले दहेज की तुलना अपने आस–पड़ौस तथा नाते–रिश्तेदारी में मिले दहेज से करते हैं जो महिलाओं में भावनात्मक विकार को उत्पन्न करती है। वर्तमान में हमें ऐसे कितनी ही महिलाओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिन पर ससुराल वाले दहेज के कारण जुल्म करते हैं तथा उन्हें कभी–कभी जलाकर मार भी देते हैं अथवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हें। इस प्रकार दहेज प्रथा किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है।

अध्ययन के उद्देश्य –

- समाज में दहेज प्रथा की व्यापकता का अध्ययन।
- दहेज प्रथा और उससे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन।
- दहेज प्रथा से समाज पर पड़े नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा –

1. फिजाना अशरफ मलिक एवं हुमा अख्तर मलिक (2022)[1] ने अपने लेख ''डॉव्री सिस्टम एज़ ए सोशल एविल : एक स्टडी ऑफ इण्डिया'' में लिखा है कि डॉव्री, जिसे दहेज के नाम से भी जाना जाता है, गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक बुराईयों में से एक है जो महिलाओं के नियमित जीवन में एक बाधा बन गई है। दहेज एक सामाजिक मानदण्ड बन गया है जो समाज और महिलाओं दोनों के लिए एक प्रमुख मुद्दा है। दहेज एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने अनगिनत कमजोर महिलाओं की हत्या और अक्षमता की है, कुछ को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। दहेज भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सामाजिक बीमारी है। यह एक भयानक सामाजिक विकार बन गया है जो लोगों के खून में गहराई से स्थापित हो गया है। कई लोग दहेज को सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्म–सम्मान का प्रतीक मानते हैं।

2. आर.एम. कांबले (2021)[2] ने अपने लेख ''डॉव्री सिस्टम इन इण्डिया : एन एनालिसिस'' में लिखा है कि यह एक सर्वस्वीकृत तथ्य है कि दहेज एक प्रथा या परंपरा है जिसकी बहुत लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका प्राचीन काल से पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भारत में किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ी है, यह एक बहुत ही सामान्य प्रणाली है जिसका पूरे देश में पालन किया जाता है। प्रस्तुत लेख में दहेज की अवधारणा, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इससे जुड़ी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया है। पेपर में दहेज निषेध अधिनियम 1961 के विभिन्न प्रावधानों और अन्य प्रावधानों पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा, पत्र सिस्टम के अभ्यास के कुछ बुनियादी गुणों और दोषों पर प्रकाश डालता ह।

[1]फिजाना अशरफ मलिक एवं हुमा अख्तर मलिक (2022) ''डॉव्री सिस्टम एज ए सोशल एविल : ए स्टडी ऑफ इण्डिया'', अमेरिकन जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इन अफ्रीका, वॉल्यूम–2(1), पृ. 1–9, जनवरी 2022
[2]आर.एम. कांबले (2021), ''डॉव्री सिस्टम इन इण्डिया एन एनालिसिस'', वॉल्यूम–8, इश्यू–29, पृ0 142–146

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 11, November 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

3. रामचन्द्र एन.यू. एवं दीप्ति राधाकृष्णन (2019)[3] ने अपने लेख ''एन एनालिसिस ऑफ द डॉव्री सिस्टम इन इण्डिया : कॉजेज एण्ड रेमेडी'' में लिखा है कि दहेज वह धन या संपत्ति है जो एक दुल्हन या पत्नी का परिवार कुछ समुदायों में एक पुरुष होने पर अपने पति को देता है और स्त्री विवाह के माध्यम से बंध जाती है। भारत में जब भी कोई यौन श्रेणी भेदभाव, दहेज तंत्र की बात करता है समस्या के ट्रिगर के रूप में देखा जा सकता है। यह एक आम धारणा है कि एक महिला एक बोझ है और देश की सामाजिक बुनियादी ढांचे के अनुसार दहेज के बोझ के साथ किसी दिन उसकी शादी होनी है। ऐसा प्रतीत होता है कि दहेज जैसी संरक्षित परियोजना लड़की की क्षमता को बाधित करती है और उसे सीमित कर देती है। दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ने के लिए महिला शिक्षा का विस्तार करने की भी जरूरत है।

4. आर. जगनमोहन राव (1973)[4] ने अपने लेख ''डॉव्री सिस्टम इन इण्डिया – ए सोशियो–लीगल एप्रोच टू द प्रॉब्लम'' में लिखा है कि दहेज प्रथा भारतीय समाज में व्यापक रूप से प्रचलित है। दहेज को वह सम्पत्ति माना जाता है जो दुल्हन का परिवार दूल्हे या उसके परिवार को शादी के बाद देता है। दहेज की संस्था, एक या दूसरे रूप में, प्राचीन दिनों में खोजी जा सकती है। हालांकि, इस सदी में यह निस्संदेह एक विनाशकारी प्रणाली के रूप में विकसित हो गया है, जो कई परिवारों के लिए अनकहा दुख ला रहा है, यहां तक कि कुछ शादियांदहेज के कारण टूट गई हैं। विशेष रूप से 1930 के बाद से दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस पत्र में इस प्रणाली के समाजशास्त्रीय निहितार्थों पर चर्चा करने और इसके बुरे प्रभावों को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधानों की पर्याप्तता की जांच करने का प्रस्ताव है।

---

[3]रामचन्द्र एन.यू. एवं दीप्ति राधाकृष्णन (2019), ''एन एनालिसिस ऑफ द डॉव्री सिस्टम इन इंडिया : कॉजेज एण्ड रेमेडी'', वॉल्यूम–6, इश्यू–2, पृ. 551–556, जेईटीआईआर, फरवरी 2019, आईएसएसएन 2349–5162

[4]आर. जगनमोहन राव (1973), ''डॉव्री सिस्टम इन इण्डिया–ए सोशियो–लीगल एप्रोच टू द प्रॉब्लम'', वॉल्यूम–15, इश्यू–4, 1973, पृ. 617–625

अध्ययन विधि –प्रस्तुत लेख ''भारतीय समाज में दहेज प्रथा और उसका नाकारात्मक प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए समाचार–पत्र, पत्रिकाओं, इंटरनेट स्त्रोत प्रकाशित एवं अप्रकाशित लेखों, शोध–प्रबन्धों आदि कोकाम में लिया गया है।

निष्कर्ष –प्रस्तुत लेख ''भारतीय समाज में दहेज प्रथा और उसका नकारात्मक प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' से यह निष्कर्ष निकला है कि भारतीय समाज में प्रथा की जड़ें इतनी गहराई से समा चुकी हैं कि विभिन्न कानूनों के बावजूद भी इस प्रथा को कम नहीं किया जा सका है। दहेज प्रथा ने कई बालिकाओं एवं महिलाओं की असमय जीवन लीला को छीना है। कितनी ही ऐसी महिलाएं हैं जो दहेज प्रथा की बली चढ़ी हैं। दहेज प्रथा ने लोगों के जीवन स्तर को भी कम किया है। दहेज प्रथा अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालती है। दहेज प्रथा बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों के लिए मानसिक तनाव का कारण भी बनती है। दहेज प्रथा समाज में कन्या भ्रूण हत्या तथा बाल–विवाह जैसी कुरीतियों को भी जन्म देती है। जिन बालिकाओं के माता–पिता दहेज देने में असमर्थ होते हैं, वह अपनी बेटियों के लिए योग्य वर ढूंढने में कठिनाई महसूस करते हैं।

सुझाव –अध्ययन विषय से सम्बन्धित सुझाव–

- दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु समाज में व्यापक जागरूकता लायी जा सकती है।
- दहेज प्रथा को कम करने के लिए समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बुराईयों को समाप्त किया जा सकता है।
- दहेज प्रथा के विरूद्ध महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सकता है। महिलाओं की गरिमा को बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं।
- दहेज हत्या से संबंधित मामलों की शीघ्रता से जांच की जानी चाहिए। इस हेतु फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना की जा सकती है।

- महिलाओं को उपभोक्ता तथा कमजोर समझने की मानसिकता से बाहर निकलना होगा।
- दहेज प्रथा से सम्बन्धित कानूनों में सुधार कर नए कानून बनाए जा सकते हैं।
- विवाह पर होने वाले खर्चों की सीमा को निर्धारित किया जा सकता है।
- दहेज प्रथा को रोकने हेतु महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वह स्वयं अर्थोपार्जन कर सकें।
- लड़के एवं लड़कियों को जीवन–साथी स्वयं चुनने की अनुमति दी जाए, इससे दहेज प्रथा में कमी आएगी।
- प्रेम–विवाह को स्वीकृति देने से भी दहेज की समस्या को कम किया जा सकता है।
- दहेज मांगने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है तथा उनके लिए कठोर सजा का प्रावधान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

Bibliography

1. Fizana Ashraf Malik, Huma Akhtar Malik (2022) "Dowry System as a Social Evil : A study of India" American Journal of Multidisciplinary Research in Africa, Vol. 2 (1), PP. 1-9, January, 2022.

2. Dr. R.M. Kamble (2021) "Dowry System inIndia : An Analysis" Vol. 8, Issue-29, PP. 142-146.

3. Ramachandra N.U.and Deepthi Radhakrishna (2019) "An Analysis of the dowry system in India : Causes and Remedies" JETIR February 2019, Volume 6, Issue-2, ISSN 2349-5162.

4. Anushka (2022) "The Dowy Tragedy: An Analysis of the Causes of dowry system in Modern India" Volume-2, Summer Issue 2022, ISSN-2583-2883.

5. Rubaiya Muzib "Dowry death in Assam : A Sociological analysis" Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 1, No. 2 (ISSN 2455-7706).

6. R. Jaganmohan Rao (1973) "Dowry System in India - A Socio-Legal approach to the problem" Vol. 15 , No. 4, 1973, PP. 617-625

7. Dr. K. Neela Pushpam (2022) "Dowry System in India", Vol. 10 Issue-1, January 2022, ISSN : 2320-2882.

8. Leila Ateffakhr (2017), "Dowry System in India", Vol. 7, Issue-3, March 2017, ISSN 2250-3153.

.